

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत

1. श्री निर्मल साव पिता स्व. चोहन साव निवासी ग्राम: बिंगलात, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 1381 दिनांक.10.5.2003 के तहत ग्राम: बिंगलात, थाना सं: 49, (रैयती) खाता सं. 14 के अधीन प्लॉट सं. 273, कुल दावित रकवा 0.63 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गयी है।  
क. ऊपर उल्लेखित खाता संख्या. 14, प्लॉट न. 273 जिसका खरीदगी रकवा 0.63 एकड़ है जिसे केवाला संख्या. 704 दिनांक 30.01.1985 के माध्यम से श्री निर्मल साहु पिता स्व. चोहन साहु के द्वारा द्वारिका साहु पिता गांगों साहु से खरीदगी की गयी है।
2. अर्जुन साव वैगरह पिता स्व. पदुम साव, निवासी ग्राम: बिंगलात, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 1381 दिनांक.10.5.2003 के तहत ग्राम: बिंगलात, थाना सं: 49, (रैयती) खाता सं. 26 के अधीन प्लॉट सं. 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518 एवं 527/729, कुल दावित रकवा 0.4975 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गयी है।  
क. ऊपर उल्लेखित खाता सं. 26, प्लॉट संख्या 517, 518, एवं 527/729 जिसका प्लॉटवार रकवा 0.0625 एकड़, 0.09 एकड़ और 0.095 एकड़ है एवं कुल रकवा 0.2475 एकड़ है, जिसे केवाला सं. 367 दिनांक 20.01.2000 के माध्यम से श्री अर्जुन साव, समोदी साव, खीरोधर साव, लालों साव, महेन्द्र साव, सुखुन साव पिता स्व. पदुम साव और निर्मल साव पिता स्व. पदुम साव के द्वारा विश्वनाथ साहु पिता स्व. रामदेव साहु से खरीदगी की गयी है।  
ख. ऊपर उल्लेखित खाता सं. 26, प्लॉट संख्या 510, 511, 512, 513, 514, 515 एवं 516 जिसका प्लॉटवार रकवा 0.0525 एकड़, 0.0125 एकड़, 0.0125 एकड़, 0.015 एकड़, 0.0675 एकड़, 0.035 एकड़, और 0.055 एकड़ है एवं कुल रकवा 0.25 एकड़ है, जिसे केवाला सं. 368 दिनांक 20.01.2000 के माध्यम से श्री अर्जुन साव, समोदी साव, खीरोधर साव, लालों साव, महेन्द्र साव, सुखुन साव पिता स्व. पदुम साव के द्वारा विश्वनाथ साहु पिता स्व. रामदेव साहु से खरीदगी की गयी है।

अगर उक्त मुआवजा पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: बिंगलात, थाना सं: 49, जिला :- चतरा, खाता सं. 14 के अधीन प्लॉट सं. 273 कुल दावित रकवा 0.63 एकड़, रैयती भूमि, एवं खाता सं. 26, प्लॉट सं. 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518 एवं 527/729, कुल दावित रकवा 0.4975 एकड़, रैयती भूमि, जो क्रमशः श्री निर्मल साव पिता स्व. चोहन साव एवं अर्जुन साव वैगरह पिता स्व. पदुम साव, जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के भूमि-मुआवजा प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

(sd/-)

महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व),

सी.सी.एल, राँची